

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, सिवाना
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कुण्डल)
पीठासीन अधिकारी श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या

वादीगण :-

1. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
2. जंगालकंवर पुत्री रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. खेतसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
2. दौलतसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
3. बलवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
4. राणसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
5. शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल

आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88

उपस्थिति:-

1. वादीगण
2. प्रतिवादीगण

--: निर्णय:--

दिनांक :-

उक्त वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद के मुख्य तथ्य निम्नानुसार है :-

वादीगण के पिताजी स्व.रतनसिंह पुत्र मोहबतसिंह से प्राप्त वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा बेरानाडी खेत सखरा संख्या 638 रकबा 24.08 बीघा, सरियादेवीनगर के खेत खसरा संख्या 495,496 व 498 रकबा क्रमशः 36.14 बीघा, 31.16 बीघा व 49.16 बीघा व सरहद मौजा कुण्डल के खेत खसरा संख्या 112,265,360,361,362,964 / 292 व 364 रकबा क्रमशः 25.14 बीघा, 13.08 बीघा, 07.08 बीघा, 0.03 बीघा, 0.05 बीघा, 02.13 बीघा व 23.11 बीघा आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है रतनसिंह की फौत होने के समय वादीगण नाबालिक थे जिससे वादीगण का नाम उपरोक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के फौतदगी म्यूटेशन भरते समय दर्ज नहीं हो पाया। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम दर्ज करने हेतु उक्त वाद आज न्याय आपके द्वार अभियान बमुकाम कैम्प कोर्ट कुण्डल पेश किया गया। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।



सहायक कलेक्टर
S.D.O.) सिवाना

प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्याय आपके द्वार अभियान बमुकाम कैम्प कोर्ट कुण्डल में राजीनामा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुये उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में वादीगण का नाम दर्ज करने की सहमति प्रदान की गई।

अतः वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी भूमि सरहद मौजा बेरानाडी के खेत सखरा संख्या 638 रकबा 24.08 बीघा, सरियादेवीनगर के खेत खसरा संख्या 495,496 व 498 रकबा क्रमशः 36.14 बीघा, 31.16 बीघा व 49.16 बीघा व सरहद मौजा कुण्डल के खेत खसरा संख्या 112,265,360,361,362,964/292 व 364 रकबा क्रमशः 25.14 बीघा, 13.08 बीघा, 07.08 बीघा, 0.03 बीघा, 0.05 बीघा, 02.13 बीघा व 23.11 बीघा आई में रतनसिंह पुत्र मोहबतसिंह के हिस्से की 1/12 हिस्से में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण का नाम जोड़े जाने की आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करे। डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो।



(अन्जुम ताहिर सम्मा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत -2017
उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर

निर्णय आज दिनांक 30.05.17 को लिखाया जाकर मजमे आम बमुकाम कोर्ट कैम्प कुण्डल में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत -2017
उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सिवाना
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोट कुण्डल)
पीठासीन अधिकारी:- अन्जुम ताहिर सम्मा

वादीगण :-

1. चन्दनसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
2. जंगलकंवर पुत्री रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. खेतसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
2. दौलतसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
3. बलवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
4. राणसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल
5. शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत निवासी कुण्डल

दावा अन्तर्गत रा.का.अ.1955 की धारा 88, अधिकारो की घोषणा बाबत

मुकदमा नम्बर 21 / 2017

निर्णय दिनांक:-30.05.17

वादीगण की ओर से वादीगण स्वयं की प्रतिवादी की ओर प्रतिवादीगण स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 30.05.17 अन्जुम ताहिर सम्मा उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी भूमि सरहद मौजा बेरानाडी खेत सखरा संख्या 638 रकबा 24.08 बीघा, सरहद मौजा सरियादेवीनगर के खेत खसरा संख्या 495,496 व 498 रकबा क्रमशः 36.14 बीघा,31.16 बीघा व 49.16 बीघा व सरहद मौजा कुण्डल के खेत खसरा संख्या 112, 265, 360, 361, 362,964 / 292 व 364 रकबा क्रमशः 25.14 बीघा,13.08 बीघा,07.08 बीघा, 0.03 बीघा, 0.05 बीघा,02.13 बीघा व 23.11 बीघा में रतनसिंह पुत्र मोहबतसिंह के हिस्से की 1/12 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण के साथ-साथ वादीगण का नाम जोड़े जाने की आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आज तारीख 30.05.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)

पीठासीन अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर सिवाना

